

15/5/2021

पञ्चवली पेश हुई। प्रकरण में
वकुलाय उभयपक्ष तथा उभयपक्षकारान को
बार-बार आवाजे दिलवायी गयी। न्यायालयी
कार्य समाप्ति तक उक्त वकुलाय उभयपक्ष तथा
पक्षकारान में से कोई भी दायिर अदालत
नहीं आया। अतः कार्यवाही प्रकरण अदम दायिरी
एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पञ्चवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
तथा बाद तकनील दाखिलदफ्तर हो। निर्णय आज
दिनांक 15/5/2021 को खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डला